एनएचपीसी लिमिटेड की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर नीति

1 प्रस्तावना

एनएचपीसी लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने नीचे दी गई महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित नीति और क्रियाविधि को अपनाया है। बोर्ड समय-समय पर इस नीति में संशोधन तथा समीक्षा कर सकता है।

यह नियम 1 अक्टूबर 2014 से कंपनी के लिए लागू होगी। यह नीति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के विनियम 2015 { सेबी ("एलओडीआर")2015} के अनुसार है।

2 नीति उद्देश्य

एनएचपीसी लिमिटेड की महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों का निर्धारण करना और ऐसी सहायक कंपनियों के लिए शासन की रूपरेखा तय करना।

3 परिभाषाएं

"लेखापरीक्षा समिति या समिति" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एलओडीआर), 2015 के विनियम 18 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अंतर्गत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित "लेखापरीक्षा समिति"।

"निदेशक मंडल" या "बोर्ड" अर्थात् एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल जो समय-समय पर गठित की जाती है।

"कंपनी" का अर्थ एनएचपीसी लिमिटेड से होगा।

"स्वतंत्र निदेशक" का अर्थ है कम्पनी का ऐसा निदेशक, जो पूर्णकालिक निदेशक अथवा नामित निदेशक नहीं है और वह न तो प्रोमोटर है, और न ही कम्पनी के प्रोमोटर समूह से संबंध रखता है तथा जो कम्पनी अधिनियम 2013 और सेबी ("एलओडीआर") 2015 जो समय समय पर संशोधित की जाती है, के अंतर्गत स्वतंत्रता संबंधी मानदंड पूरे करते हों।

"नीति" अर्थात् एनएचपीसी लिमिटेड की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों संबंधी नीति।

''महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन (लेनदेन) या अरेंजमेंट (व्यवस्था)'' का अर्थ है तत्काल पिछले गणना वर्ष के लिए किया गया कोई एक लेनदेन अथवा की गई कोई व्यवस्था, जो किसी गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी के कुल राजस्व अथवा कुल व्यय अथवा कुल परिसंपत्तियों अथवा कुल देयताओं, जो भी मामला हो, के 10 प्रतिशत से अधिक हो अथवा उसके 10 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना हो।

"सहायक कंपनी" का अर्थ है कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत यथा परिभाषित सहायक कम्पनी।

4 नीति

1 एक सहायक कंपनी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी होगी, जिसकी आय या निवल मूल्य तत्काल पिछले गणना वर्ष में, क्रमशः कम्पनी और उसकी सहायक कम्पनियों की समेकित आय या निवल मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक हो।

2 कम्पनी का एक स्वतंत्र निदेशक गैर-सूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कम्पनी के बोर्ड में निदेशक होगा। "इस खंड के प्रयोजन के लिए, महत्वपूर्ण सहायक कंपनी" का अर्थ सहायक कंपनी होगी, जिसकी आय या निवल मूल्य तत्काल पिछले गणना वर्ष में, क्रमशः कम्पनी और उसकी सहायक कम्पनियों की समेकित आय या निवल मूल्य से 20 प्रतिशत से अधिक हो।"

3 कम्पनी के लेखा परीक्षा समिति गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों, विशेषकर उसके द्वारा किए गए निवेश की समीक्षा करेगी।

4 गैर -सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत कंपनी के बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

5 प्रबंधन आवधिक आधार पर गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और की गई व्यवस्थाओं का एक विवरण कम्पनी के निदेशक मंडल की जानकारी के लिए प्रस्तुत करेगी।

5. महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों का निपटान

कम्पनी, शेयरधारकों की पूर्व अनुमति के बिना विशेष प्रस्ताव के जरिए निम्नांकित कार्य नहीं करेगीः-

क. महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों के शेयरों का निपटान इस ढंग से नहीं करेगी कि उसकी शेयरधारिता (उसकी स्वयं की या अन्य सहायक कम्पनियों के साथ मिलाकर) 50 प्रतिशत से कम रह जाए अथवा सहायक कम्पनी का नियंत्रण तब तक अपने हाथ से नहीं जाने देगी, जब तक कि ऐसा विनिवेश किसी अदालत/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था योजना के अंतर्गत न किया गया हो; अथवा इनसॉल्वेंसी कोड की धारा 31 के तहत विधिवत रूप से अनुमोदित एक प्रस्ताव योजना के तहत और इस तरह की कार्यक्रम का खुलासा अनुमोदित की गई संकल्प योजना के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के लिए किया गया हो।

ख. किसी वित्त वर्ष के दौरान समग्र आधार पर महत्वपूर्ण सहायक कम्पनी की परिसंपत्तियों का 20 प्रतिशत से अधिक निपटान, बिक्री, या पट्टा तब तक नहीं करेगी, जब तक कि ऐसा निपटान/बिक्री/पट्टा किसी अदालत/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था योजना के अंतर्गत न किया गया हो अथवा इनसॉल्वेंसी कोड की धारा 31 के तहत विधिवत रूप से अनुमोदित एक प्रस्ताव योजना के तहत और इस तरह

की कार्यक्रम का खुलासा अनुमोदित की गई संकल्प योजना के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के लिए किया गया हो।

6. प्रकटीकरण

महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों के निर्धारण संबंधी नीति एनएचपीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और उसका एक वेब लिंक वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।

7. इस नीति में आशोधन/ संशोधन

इस नीति में आशोधन/संशोधन यदि कोई हो तो उसे कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से किया जाएगा।

*****

नोट: इस नीति के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगतियों के मामले में, पॉलिसी का अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।